प्रेषक,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश, पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

सेवा में

1. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 मण्डल कार्यालय पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग उ0प्र0।

पत्रांक 09 /उ0प्र0प0चि0परि0/2019–20 दिनाँकः 23.04.2019

विषयः **भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रादेशिक सेवा में कार्यरत प्रत्येक पशुचिकित्साविद के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 48(1) के तहत पंजीकृत प्रत्येक पशुचिकित्साविद का 5 वर्ष बाद नवीनीकरण अनिवार्य है, इस संबंध में कई बार सभी पशुचिकित्साविदों को परिषद एवं निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा भी अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक कतिपय पशुचिकित्साविदों द्वारा अपना नवीनीकरण नहीं कराया गया है।

तद्क्रम में आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्त कार्यरत सभी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने जनपद में कार्यरत ***समस्त पशुचिकित्साविदों का दिये गये प्रारूप पर 15 जून 2019 तक सूचना एकत्र कर रजिस्ट्रार, उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद, लखनऊ को या ईमेल आई0डी ragistrarupvc2016@gmail.com पर प्रेषित करें।*** उक्त सूचना प्रेषण के बारे में पूर्व में कई बार आपसे अनुरोध किया गया परन्तु सूचना अभी तक अप्राप्त है। जिन पशुचिकित्साविदों द्वारा दिनाँक 31.3.2019 तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है (जिनके पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो गयी है) उनकी माह जुलाई 2019 में लगने वाली वेतन वृद्धि को तब तक स्वीकृत न किया जाए जब तक वह अपना नवीनीकरण कराकर नवीनीकृत प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध न करा दें। उन डिफाल्टर पशुचिकित्साविदों को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक्ट 1984 के पैरा 48(2) के अन्तर्गत पंजीकरण को अवैध मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए संबंधित पशुचिकित्साविदों का विवरण उपलब्ध करायें। साथ ही समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग से अनुरोध है कि आप जब भी क्षेत्र भ्रमण/परीक्षण पर निकले, संबंधित पशुचिकित्साविदों का वैध पंजीकरण/नवीनीकरण स्थिति को अवश्य देंख लें।

पशुचिकित्साविद का नाम	*पंजीकरण एवं संदर्भ संख्या*	*पता पिन कोड सहित*	*वैधता की तिथि*	*मो0 नं0*	*ईमेल आई0डी0*

भवदीय

(डा0 हरदेव सिंह यादव)
रजिस्ट्रार।

पत्रांक /उ0प्र0प0चि0परि0/2019–20 दिनाँक:

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिदेशक (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, महानगर लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0 चकगंजरिया–रहमानखेड़ा(लखनऊ), बाबूगढ (हापुड़), मंझरा (लखीमपुर खीरी),।
3. प्रबंधक पशु प्रजनन केन्द्र, सलोन, रायबरेली।
4. महाप्रबन्धक–पी0सी0डी0एफ0 पार्क रोड लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक– प्रशासन, पशुपालन विभाग।
6. अपर निदेशक ग्रेड–2 बी0पी0संस्थान।
7. अधिष्ठता नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद।
8. अधिष्ठाता, सरदार बल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ
9. अधिष्ठाता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय।
10. कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्या पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा।
11. निदेशक आई0वी0आर0आई0 इज्जतनगर बरेली।
12. निदेशक, राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केन्द्र (कैरी) बरेली।
13. निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान–फरह, मथुरा।
14. सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
15. संयुक्त सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

(डा0 हरदेव सिंह यादव)
रजिस्ट्रार।